न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।

विशेष वाद संख्या–107/2011

राज्य––– प्रति –––मातवर पासी।

अपराध संख्या–365/2011

धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–तहबरपुर, आजमगढ़।

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त मातवर पासी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप प्रथमद्रष्ट्या बनना प्रतीत होता है तथा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप बनाये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप बनाकर उन्हें सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 08.04.2021को पेश हो। साक्षी तलब हो।

दिनांक–06.03.2021

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़.

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।

विशेष वाद संख्या–107/2011

राज्य––– प्रति –––मातवर पासी।

अपराध संख्या–365/2011

धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–तहबरपुर, आजमगढ़।

आरोप

मैं आलोक कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–08 आजमगढ़ आप अभियुक्त–मातवर पासी को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनांक 13.07.2011 समय 12.15 बजे स्थान ओहनी मोड़ नहर पुलिया वहद ग्राम वैरमपुर व फासला 12 कि०मी० पश्चिम थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ के पुलिस द्वारा आप के कब्जे से नशीला पाउडर बरामद किया गया है, जिसका कुल वजन 50 ग्राम पाया गया। जिसको रखने की कोई आज्ञाप्ति आपके पास नहीं थी। इस प्रकार आपने धारा 8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–06.03.2021

(आलोक कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की माँग की।

दिनांक–06.03.2021

(आलोक कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०कोर्ट नंबर–02,आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या– 88/2019

राज्य प्रति संदीप यादव एवं अन्य

धारा–395,397,412,120B भा०दं०सं०

थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।

आरोप

मैं सौरभ सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं० 2 आजमगढ़ आप अभियुक्तगणः–
1.संदीप यादव, 2.ब्रजेश उर्फ डब्लू 3. धर्मेन्द्र पासी

को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनाँक 08.12.2016 को स्थान किसान सेवा केन्द्र बछुआपार पर आपलोगों द्वारा सेल्समैन का वैग छीनने का बैग छीनने का प्रयास किया गया। छीने हुए बैग से पाँच–छः हजार रूपया व नोकिया मोबाईल की लूट की गई। आप लोगों द्वारा आपराधिक षडयन्त धारा 120 बी भा० दं० वि० के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि 09.12.2016 को बहद स्थान पासीपुर पुलिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ में आपलोगों के कब्जे से स्थानीय पुलिस पार्टी द्वारा मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर रंग काला जिसका नंबर UP50AD8004, सुपर स्पलेण्डर रंग काला सफेद पट्टीदार जिसका नं०–UP50AS7769 लिखा था। जिसे डकैती द्वारा अन्तरित की गई। आपलोगों ने अपने पास रखा । इस प्रकार आपलेागों ने धारा 412 भा०दं०वि०के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि दिनांक 08.12.2016 समय व स्थान किसान सेवा केन्द्र बछुआपार आप लोगों द्वारा डकैती में विरेन्द्र शर्मा के बैग से पाँच–छः हजार रूपया नोकिया मोबाइल लूट लिया गया। । इस प्रकार आपलोगों का उपरोक्त कृत्य धारा-395 भा० दं० सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

चतुर्थ-यह कि दिनांक 08.12.2016 समय व स्थान किसान सेवा केन्द्र बछुआपार आप लोगों द्वारा डकैती में विरेन्द्र शर्मा के बैग से पाँच-छः हजार रूपया नोकिया मोबाइल लूट लिया गया तथा घातक आयुध से सज्जित होकर पुलिस पार्टी पर घोर उपहति कारित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार आपलोगों का उपरोक्त कृत्य धारा-397 भा० दं० सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

अतएव एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दि०–30.11.2019 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/

फास्ट ट्रैक कोर्ट सं० 2, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की माँग की।

दि०– 30.11.2019 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/

फास्ट ट्रैक कोर्ट सं० 2, आजमगढ़।